

  
भारत का राजपत्र  
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 45]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 21, 2015/माघ 1, 1936

No. 45]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 21, 2015/MAGHA 1, 1936

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 2015

सा.का.नि. 47(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 141 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) और (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सीमा सुरक्षा बल पैरा वेटेनरी स्टाफ समूह 'ख' और समूह 'ग' (योधक) पद भर्ती नियम, 2014 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमा सुरक्षा बल, पैरा वेटेनरी स्टाफ समूह 'ख' और समूह 'ग' (योधक) पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2015 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. सीमा सुरक्षा बल पैरा वेटेनरी स्टाफ समूह 'ख' और समूह 'ग' (योधक) पद भर्ती नियम, 2014 की अनुसूची में क्रम संख्यांक 1 के सामने, उप निरीक्षक (कंपाउंडर पशु चिकित्सा) से संबंधित स्तम्भ (9) में प्रविष्टि के स्थान पर "दो वर्ष" प्रविष्टि रखी जाएगी ।

[फा. सं. 17/28/2014—कार्मिक/सीसुबल]

दिनेश माहुर, निदेशक (कार्मिक)

टिप्पण:-मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में तारीख 7 फरवरी, 2014 के सा.का.नि. 81(अ), में प्रकाशित किए गए थे ।

**MINISTRY OF HOME AFFAIRS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th January, 2015

**G.S.R. 47(E).**—In exercise of the powers conferred by clauses (b) and (c) of sub-section (2) of Section 141 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Border Security Force Para Veterinary Staff, Group 'B' and 'C' posts (Combatised) Recruitment Rules, 2014, namely :—

1. (1) These rules may be called the Border Security Force Para Veterinary Staff, Group 'B' and 'C' posts (Combatised) Recruitment (Amendment) Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Border Security Force Para Veterinary Staff, Group 'B' and 'C' posts (Combatised) Recruitment Rules 2014, against serial number 1, relating to the post of Sub-Inspector (Compounder Veterinary), in column (9), for the entry, the entry "Two years", shall be substituted.

[F. No. 17/28/2014 Pers/BSF]

DINESH MAHUR, Director (Pers)

**Note :** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), states number G.S.R. 81(E), dated the 7th February, 2014.